संख्या: 16/ 2022/502जे0/22-5-22-300(100)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2022*

विषय- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी परमानन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश का उपचार के0जी0एम0यू0 लखनऊ, में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 80,000/- (रूपये अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5719/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-परमानन्द/2022, दिनांक 22-02-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी परमानन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश का उपचार के0जी0एम0यू0 लखनऊ, में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 80,000/- (रूपये अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त बंदी का उपचार के0जी0एम0यू0 लखनऊ में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जाय।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसकी जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उक्त बंदी के शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(3) कृपया यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-2022 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 के लघु शीर्षक-101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत वर्तमान में मानक मद 42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:16/2022/502जे0(1)/22-5-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
3- मुख्य कोषाधिकारी, बहराइच।
4- अधीक्षक, जिला कारागार बहराइच।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रामध्यान रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।